न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 34 / 2018 / अपील

गिरधारी दास पुत्र जयराम जाति स्वामी निवासी बधाला की ढ़ाणी पलसाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार पलसाना

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2018 मु.न. 04 / 2018 अनुवानी सरकार बनाम रामचन्द्र वगै0 द्वारा न्यायालय उपतहसीलदार पलसाना

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल

निर्णय **दिनांकः–28.03.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पलसाना द्वारा ख0 नं0 2367 / 4819 रकबा 0.50 है0 मे से 0.20 है0 चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट के नाम धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 08.02.2018 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 08.02.2018 को अपीलांट जरिये अधिवक्ता विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब एवं साक्ष्य सबूत हेतु 15 दिवस का अवसर चाहा गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को उचित समय नही देते हुए दिनांक 15.02.2018 नियत कर दी गयी थी। अपीलांट ने दिनांक 15.02.2018 को जवाब पेश करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त भूमि का मुंतकिल निशान से सीमाज्ञान करते हुए अपीलांट को अतिक्रमण के बारे मे अवगत कराया जावे। अगर अपीलांट का कब्जा चारागाह भूमि पर आता है तो अपीलांट स्वयं ही हटा लेगा। इस पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारीत कर दिया गया। भूमियॉ ख0 नं0 2367 / 4819 रकबा 0.50 है0, किस्म चारागाह वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है, जो अपीलांट की भूमि ख0 नं0 2365, 2366, 2367, 2367 / 4618, 2368, 2368 / 4617 वाके ग्राम बधाला कि ढाणी तन पलसाना जिला सीकर के पश्चिम दिशा मे अवस्थित है। अपीलांट उक्त चारागाह भूमि का मात्र सीवं जोड खातेदार पडोसी है। अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलांट के अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत जवाब का मात्र अवलोकन करते हुए पटवारी रिपोर्ट को मात्र आधार मानते हुए राजनैतिक प्रभाव मे आकर आदेशिका पर अपीलाधीन निर्णय सुना दिया गया। अपीलांट के

कोई पालना नही की गयी है एवं ना ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिया गया। इस कारण से अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार पलसाना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम भदाला की ढ़ाणी पलसाना के खसरा नम्बर 2367/4819 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह में से 0.20 है0 पर कच्ची डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अपीलांट ने उपरोक्त आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा की प्रति पेश की। जो विचाराधीन है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः चारागाह भूमि पर कच्ची डोल लगाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 15.02.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/19

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official